रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 141] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 1968/आषाढ़ 25, 1890

No. 141] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16, 1968/ASADHA 25, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली 12 जुलाई, 1968.

संख्या 24 (1) / 68–सी० ओ० आर०—भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि भारत सरकार के श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) के संकल्प संख्या 5 (21) / 66 आर० ई० दिनांक 6 जनवरी, 1967 द्वारा स्थापित पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा-समिति के विचारार्थ विषयों का विस्तार कर उनमें विस्थापितों के लिए पश्चिम बंगाल में बने स्थायी दायित्व-गृहों और अपंग-गृहों से संबंधित निर्धारित मदों की कार्यप्रणाली की जांच करने का कार्य भी शामिल किया जाएगा।

2. उपर्युक्त संकल्प का आंशिक संशोधन करने के बाद अब समिति के संशोधित विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(क) 1961-62 में अवशिष्ट मूल्याकन के उपरांत पुराने विस्थापितों के हित के लिये पश्चिम बंगाल में किये गये पुनर्वास कार्यक्रम / उपायों के परिणाम तथा कार्य का मूल्याकन ।

(ख) परिचालन वर्ग के कार्य में प्रगति लाने के लिये प्रणाली, वर्तमान योजनाओं के पुर्नविन्यास के संबंध में रूपरेखा, सहायता का प्रतिरूप तथा विसटार्यो प्रणाली आदि पर विचार करना ताकि अवशिष्ट मल्याकन के अन्तर्गत आने वाले पुराने विस्थापितो का शीघ्र तथा प्रभावी पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके ।

(ग) वित्तीय सहायता सहित पुराने विस्थापितों के बारे में निम्न उपायों की सिफारिश करना :—

(1) बस्तियो का विकास,

(2) स्थायी दायित्व गृहों में रहने वाले परिवारो को बसाने के लिये भमि अर्जन,

(3) अवशिष्ट समस्या के मल्यांकन के अन्तर्गत आने वालों के लिये पुनर्वास—ऋण, और

(4) तकनीकी प्रशिक्षण तथा औद्योगिक योजनायें ।

(घ) "नये विस्थापितों" द्वारा उत्पन्न की गई समस्या की महत्ता तथा स्वरूप का मूल्यांकन, (वे विस्थापित जो 1-1-1964 के बाद भारत आये हैं) जो पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, उनके तकनीकी प्रशिक्षण के लिये आवश्यक सीमा तक वित्तीय सहायता, रोजगार शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं के सम्बन्ध में सिफारिश करना ।

(ङ) निम्नलिखित बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुये स्थायी दायित्व-गृहों तथा अपंग-गृहों की कार्यप्रणाली की जांच करना :—

(1) पुनर्वास के योग्य ऐसे परिवारो को जो गृहो में रह रहे हैं शीघ्र पुनर्वास देने के लिये आर्थिक उत्थान सम्बन्धी योजनाओं का प्रारम्भ करना ।

(2) दायित्व—गृहों / अपंग—गृहों पर वर्तमान दरों पर खर्च की जांच करना ।

(3) बच्चों की शिक्षा के लिये उपाय, विशेषकर मिडिल स्कूल शिक्षा से आगे का प्रबन्ध करना ; और

(4) दायित्व—गृहों तथा अपंग—गृहों में रह रहे लोगों के आवास की संतोषजनक व्यवस्था करना जिसमें वर्तमान आवास की मरम्मत भी शामिल होगी ।

टिप्पणी :

अपनी सिफारिशें करते समय समिति विस्थापित व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्य-कताओं, सामान्य जनसंख्या का प्रचलित स्तर तथा सरकार के पास उपलब्ध साधनों का विशेष ध्यान रखेगी।

भारत सरकार के उपर्युक्त संकल्प में वर्णित अन्य शर्तें तथा प्रतिबन्ध समय समय पर किए गए संशोधनों सहित अपरिवर्तित रहेंगे।

वी० नन्जप्पा, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968

640